नक्ल - प्रतिलिपि

न्यायालय उपजिलाधिकारी चौरीचौरा गोरखपुर।

वाद संख्या–38/2015
स्वर्ण केशी देवी मानवीय
शिक्षण संस्थान द्वारा एस0के0जी0एन0
डिग्री कालेज जरिये प्रबन्धक
अशोक कुमार शाही
बनाम
सरकार

अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधिनियम
मौजा–माडापार, तप्पा–पतरा
परगना–हवेली, तहसील–चौरीचौरा
जनपद–गोरखपुर।

निर्णय

श्री अशोक कुमार शाही पुत्र गिरजेश नरायन शाही निवासी–माडापार तप्पा–पतरा, परगना–हवेली, तहसील–चौरीचौरा, जिला–गोरखपुर स्वर्ण केशी देवी मानवीय शिक्षण संस्थान द्वारा एस0के0जी0एन0डिग्री कालेज माड़ापार जरिये प्रबन्धक अशोक कुमार शाही द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2015 प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि ग्राम–माडापार में स्थित गाटा संख्या 267मि0/1.001हे0 भूमि पर वर्तमान समय में एस0के0जी0एन0 डिग्री कालेज का भवन एवं बाउन्ड्रीवाल बना हुआ है। मौके पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। इस प्रकार अकृषिक भूमि घोषित किया जाय।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार चौरीचौरा से जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार चौरीचौरा की जांच आख्या दिनांक 15.05.2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि गाटा संख्या 267मि0/1.001हे0 भूमि पर वर्तमान समय में एस0के0जी0एन0 डिग्री कालेज का भवन एवं बाउन्ड्रीवाल बना हुआ है। मौके पर बोया–जोता नही जाता है। उक्त भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। प्रकरण निर्विवाद है। स्थल का फोटो संलग्न है।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या एवं खसरा खतौनी का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि वादी के नाम से खतौनी में अंकित है, जिसमे एस0के0जी0एन डिग्री कालेज का भवन एवं बाउन्ड्रीवाल बना हुआ है। मौके पर कृषि कार्य नही होता है प्रकरण निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होता है। इस प्रकार तहसीलदार चौरीचौरा की आख्या दिनांक 15.05.2015 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम–माडापार तप्पा–पतरा, परगना–हवेली, तहसील–चौरी चौरा, जनपद–गोरखपुर के गाटा संख्या 267मि0/1.001हे0 भूमि पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक चौरीचौरा को भेजी जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–20.05.2015

(पंकज वर्मा)
उपजिलाधिकारी चौरीचौरा
गोरखपुर।

[illegible] मनोज कुमार मिश्र एडवोकेट
28-05-2015
208
8
फोटो
20-05-2015
30-05-2015

उप जिलाधिकारी
चौरी चौरा, गोरखपुर